वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/154844/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.719 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू–क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजगत की दुर्लभ/ संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हॉ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गयाहै। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक नहीं है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4447.05 वर्ग किमी
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	1588.30 वर्ग किमी
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	19 प्रकरण 1206.651 हे०
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	905.540 हे. 184.00 हे.
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	905.540 हे. 184.00 हे.
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप–वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 19/10/2023

स्थान : कवर्धा

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स–प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

(चूड़ामणि सिंह)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

वन मण्डलाधिकारी
कवर्धा वन मण्डल कवर्धा

Scanned with OKEN Scanner

33-A

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/154844/2022

1.	परियोजना का विवरण :–	
(i)	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्क्रीम का संक्षिप्त विवरण	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाईल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कबीरधाम़ जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत धवईपानी से चिल्फी तक मुख्य मार्ग के 14.380 कि.मी. 4जी समांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमंडल भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के परिक्षेत्र चिल्फी अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.719 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत परिक्षेत्र चिल्फी अंतर्गत धवईपानी से बंजारी के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.414 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.719 हेक्टर आवश्यक है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की कुल लागत	96 लाख रूपये ।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	कबीरधाम़ जिले के कवर्धा वनमंडल के भारमदेव अभ्यारण्य कवर्धा अंतर्गत धवईपानी–बंजारी तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ–वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी।अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ (संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	बोड़ला तहसील अंतर्गत स्थित आप पास के ग्रामों में निवासरत लगभग 181432 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1200 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा 100–110 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सड़क समानांतर राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 0.719 हे. वनभूमि की आवश्यकता है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	वनभूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत् नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा।
(i)	परिवारों की संख्या	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/नहीं)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता संलग्न की जाए)	चूंकि प्रस्तावित कार्य सड़क राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत पूर्व डायवर्टेड भूमि के अंदर ही किया जाना है, अतएव पृथक से वनभूमि डावर्सन की आवश्यकता नहीं है। अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है।

दिनांक : 19/10/2023

स्थान :

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वन मण्डलाधिकारी
कवर्धा वन मण्डल, कवर्धा

Scanned with OKEN Scanner